संख्या–810/47–का–3–2012– 13/1/2011टी0सी0

प्रेषक,

एच0एल0गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रशासक,
उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ :: दिनांक 06 जुलाई/जून, 2012

विषय– वित्तीय वर्ष– 2012–2013 के व्यय के लिए उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को चिकित्सा अग्रिम की धनराशि/बजट स्वीकृत करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या– 54/लेखा–आयोग/2012/2/1 (27)/2011–155, दिनांक 17–5–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–2011 एवं चिकित्सा विभाग की अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082/87, दिनांक 20.9.2011 के भाग–4 के प्रस्तर–15 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय श्री दीपक टंडन प्रवर वर्ग सहायक, उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मेदान्ता हास्पिटल, गुड़गांव में उपचार कराये जाने हेतु उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त व्यय के प्रांक्कलन रू0 5,00,000/– के सापेक्ष 75 प्रतिशत धनराशि रू0 3,75,000/– (रूपया तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) चिकित्सा अग्रिम के रूप में निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासक, उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इसके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह अपश्चात प्रस्तुत करेगा।
2– किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।
3– प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट घ में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।
4– आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।
5– यदि अग्रिम के समायोजन के लिए चार महीनों के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(2)

6— यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात उपचार नहीं प्रारम्भ होता है तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक ब्याज भी आरोपित किया जायेगा जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनांक से की जायेगी।

2— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष—2012—13 के अनुदान संख्या—20, लेखाशीर्षक—2051—लोक सेवा आयोग, 103— कर्मचारी चयन आयोग, आयोजनेत्तर, 03—उ0प्र0अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मद संख्या— 49— चिकित्सा व्यय के मद के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एच0एल0गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या—810/47—का—3—2012— 13/1/2011टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— वरिष्ठ लेखधिकारी, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
4— कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहरभवन, लखनऊ।
5— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5 उ0प्र0शासन।
6— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1/2 उ0प्र0शासन।
7— वित्त (लेखा) अनुभाग—1, उ0प्र0शासन।
9— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एल0गुप्ता)
विशेष सचिव।